

2023/398

181

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां 28-12-2023
(डीडवाना-कुचामन)

(पीठासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र मीना)

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पट्टवारी श्री विन्दी व भू.अ.नि. नावां की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार नावां की अनुशंघा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम राजास तहसील नावां जिला नागौर की जमाबन्दी सम्वत 2075 में खाता संख्या 5, 151, 165, 273 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिया जाता है :-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	राजास	5, 151, 165, 273	श्यामलाल पुत्र हनुमान प्रसाद जाति ब्राह्मण	श्यामसुन्दर पुत्र हनुमान प्रसाद जाति ब्राह्मण

क्रमांक/रीडर/2023/ 304
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, नावां को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री श्यामसुन्दर स/० हनुमान प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी राजास तह. नावां को सूचनार्थ।

श्यामसुन्दर स/० हनुमान प्रसाद जाति
ब्राह्मण निवासी राजास तह. नावां

पीठासीन अधिकारी
कोर्ट नावां
उपखण्ड अधिकारी नावां (नागौर)
नावां (डीडवाना-कुचामन)
दिनांक :- 28/12/23

पीठासीन अधिकारी
कोर्ट नावां
उपखण्ड अधिकारी नावां (नागौर)
नावां (डीडवाना-कुचामन)

